



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 946]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 2010/वैशाख 25, 1932

No. 946]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 2010/VAISAKHA 25, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2010

का.आ. 1123(अ).—राष्ट्रपति ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 2), 15 मई, 2010 को प्रख्यापित किया है, जो उक्त तारीख से प्रवृत्त हो गया है;

और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्यादेश कहा गया है) के प्रारंभ की तारीख से ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिकांश हो जाएगी और परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे;

और धारा 3क की उप-धारा (2) (जिसमें उक्त अध्यादेश द्वारा अंतःस्थापित किया गया है) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, आयुर्विज्ञान परिषद् का, परिषद् के अधिकांश होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठन करने की अपेक्षा करती है;

और परिषद् के अधिकांश होने पर और जब तक नई परिषद् पुनर्गठित नहीं हो जाती तब तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का अनुपालन करने के लिए शासी बोर्ड के गठन की अपेक्षा की जाती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3क की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले शासी बोर्ड का गठन करती है, अर्थात् :—

- | | |
|--|----------|
| 1. डॉ. शिव कुमार सरीन | —अध्यक्ष |
| डी-1/187, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110021 | |
| 2. प्रो. रंजीत राय चौधरी | —सदस्य |
| वाई-85, हौजखास,
नई दिल्ली-110016 | |
| 3. डॉ. सीता नाइक | —सदस्य |
| जे-708, वेम्बले इस्टेट,
रोजवुड सिटी, सेक्टर-50,
गुडगांव-122001 | |
| 4. डॉ. (प्रो.) आर. एन. सलहन | —सदस्य |
| सी-1/1233, वसन्त कुंज,
नई दिल्ली-110070 | |
| 5. डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी | —सदस्य |
| नारायणा, 393, तीसरा ब्लॉक,
कोरामंगला, बैंगलोर-34 | |
| 6. प्रो. गौतम सेन | —सदस्य |
| 51, जुपिटर अपार्टमेंट,
कफ परेड, मुम्बई-400 005 | |

2. शासी बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

3. शासी बोर्ड का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए या नई भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का पुनर्गठन करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, होगा।

[फा. सं. V. 11011/1/2010-एमई पी-1]

देबाशीष पांडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May 2010

S. O. 1123(E).—Whereas the President promulgated the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance 2 of 2010) on 15th May, 2010, which came into force on the said date;

And whereas, on and from the date of commencement of Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance 2 of 2010) (hereafter referred to as the said Ordinance), the Medical Council of India shall stand superseded and the President, Vice President and other Members of the Council vacated their offices;

And whereas sub-section (2) of section 3A (as inserted by the said Ordinance) requires the Medical Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) within a period of one year from the date of supersession of the Council;

And whereas upon the supersession of the Council and until a new Council is reconstituted, a Board of Governors is required to be constituted by the Central Government to exercise the powers and perform the functions of the Council under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government hereby constitutes the Board of Governors consisting of

the following persons as its Chairperson and other Members, namely:—

1. Dr. Shiv Kumar Sarin —Chairperson;
D-1/187, Chanakya Puri,
New Delhi-110 021
2. Prof. Ranjit Roy Chaudhury —Member;
Y-85, Hauz Khas,
New Delhi-110 016
3. Dr. Sita Naik —Member;
J-708, Wembley Estate,
Rosewood City, Sector-50,
Gurgaon-122001
4. Dr. (Prof.) R. N. Salhan —Member;
C-1/1233, Vasant Kunj,
New Delhi-110 070
5. Dr. Devi Prasad Shetty —Member;
Narayana, 393, 3rd Block,
Koramangla,
Bangalore-34
6. Prof. Gautam Sen —Member;
51, Jupiter Apartments,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

2. The Chairperson and other Members of the Board of Governors shall hold office during the pleasure of the Central Government.

3. The term of office of the Board of Governors shall be for a period of one year or till a new Medical Council of India is reconstituted, whichever is earlier.

[F.No. V. 11011/1/2010-ME P-1]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.